

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-४

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी
 व भूअ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब
 तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या में
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	जोधाथला	139	SRI श्री राजसमन्द	SRI श्री राजसमन्द


 सहायक कलक्टर
 पीठासीन अधिकारी
 (उपखण्ड लोक अदालत)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

क्रमांक: /राजस/2025/110
 प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।


 सहायक कलक्टर
 पीठासीन अधिकारी
 (उपखण्ड लोक अदालत)
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,